

Kind attention - CDO, Sultanpur

Most URGENT / Contempt case / 15.9.17

Hearing on

संख्या- 25/2017/1643/सत्रह-म-2017-10 -5 (8) / 98 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,

प्रमुख सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

मत्स्य निदेशालय,

30प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2017

विषय: मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 291/ स्था0शा0 दिनांक 15-05-2017 एवं पत्र संख्या- 501/ स्था0शा0/ 2017-18/ 19 अभिकरण, दिनांक 15-07-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बंध में 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की गवर्निंग बाडी / प्रबन्ध समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त हो जाने तथा ए0सी0पी0 की सुविधा दिये जाने पर आने वाले व्यय-भार की बजट व्यवस्था से अवगत कराते हुए ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग में 19 जनपदों (आजमगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बदायूँ, मेरठ) में विद्यमान 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा दिनांक 01-12-2008 से प्रकल्पित रूप से अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या - वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 05 नवम्बर 2014 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- यू0डी0 ई-2-/645 /दस-17, दिनांक: 07 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

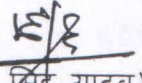
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 25/2017/1643(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में तत्काल समस्त वांछित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 2- सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशाषी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस सम्बंध में तत्काल समस्त वांछित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण 30प्र0।
- 5- सम्बंधित उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश ।
- ✓ 6- सम्बंधित कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-2 ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रधान कार्यालय निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक 5077/स्था०शा० / 1-6(10)अभि०ए०सी०पी० / दिनांक 08/09/2017

शासनादेश संख्या 25/2017/1643/सत्रह-म-2017-10-5(8)/98टी०सी० लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2017 की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मत्स्य पालक विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन(ए०सी०पी०) की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में तत्काल समस्त वांछित अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराने को कष्ट करें :-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी/अधिशायी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, आजमगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बदायूं मेरठ ।
- 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, आजमगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बदायूं मेरठ ।
- 3- जिलाधिकारी, आजमगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बदायूं मेरठ ।
- 4- कोषाधिकारी, आजमगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बदायूं मेरठ एवं बरेली ।
- 5- उप निदेशक मत्स्य, आजमगढ, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली एवं वाराणसी ।
- 6- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 7- विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 8- निदेशक / संयुक्त निदेशक मत्स्य, के वैयक्तिक सहायक संलग्नक:- यथोपरि ।

(एस०के० सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।